प्रकरण संख्या   वर्ष 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-02-2020	वकील प्रार्थी उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया । यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रस्तुत किया जाकर अप्रार्थी की बंधक सम्पत्ति का कब्जा लेने बाबत पुलिस इमदाद चाही गई है । वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों में बंधक सम्पत्ति प्रार्थना पत्र में अंकित अप्रार्थीगणों के नाम विधिक रूप से नाम दर्ज नहीं है । चूंकि प्रकरण में सम्पत्ति के पट्‌टे से सम्बन्धित दस्तावेज नगर पालिका रामगंजमण्डी द्वारा जारी निमार्ण स्वीकृति मौहम्मद शरीफ कुरैसी पुत्र ईशाक मोहम्मद मुसलमान निवासी रामगंजमण्डी के नाम से है किन्तु लईका(दानकर्ता) पत्नि मोहम्मद अशफाक द्वारा (दानग्रहिता) श्री मोहम्मद अशरफ के नाम उक्त मकान साईज 1041 वर्गफीट का दान किया गया है वह सम्पत्ति लईका के नाम किस आधार पर आई है, इसकी सम्पूर्ण चैन साबित नहीं हो रही है तथा इस बाबत वकील प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है जिससे सम्पत्ति के विधिक मालिकाना हक के सम्बन्ध में स्पष्ट हो सकें । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा बंधक सम्पत्ति के सम्बन्ध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है । दायर पंजिका में अंकन किया जावें । बाद तामिल दाखिल दफ्‌तर हो ।	

Scanned by CamScanner